

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥
:: दिनांक 29.07.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 29.07.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री गोविन्द प्रसाद,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री दिलबाग सिंह,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

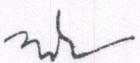
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 03 बंदियों का प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
जावेद खान पुत्र जहीर खान	के.का.उदयपुर	1921/2026	03.07.2026	16.07.2026
दिनेश पुत्र रामेश्वरलाल	के.का. बीकानेर	1183/2026	02.07.2026	20.07.2026
भीखाराम पुत्र मीसाराम	के.का.अजमेर	964/2026	06.07.2026	21.07.2026

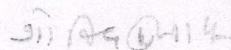
स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी दिनेश पुत्र रामेश्वरलाल, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2018 अंतर्गत धारा 201,366,376(1),302 आई.पी.सी. में दिनांक 05.04.2024 को आजीवन साधारण कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व











में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1183/2026 दिनेश बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 02.07.2026 पारित किया है कि " The present criminal writ petition has been filed against the minutes of the meeting dated 09.09.2025, whereby the case of the petitioner for transfer to the Open Air Camp has been rejected. Learned counsel for the petitioner submits that the controversy involved in the present case is squarely covered by a judgment dated 28.10.2025 rendered by this Court in the case of Subhash V/s State of Rajasthan & Ors.(D.B. Criminal Writ Petition No.2823/2025), wherein the Hon'ble Court has held as under. In view of the judgment rendered in the case of Subhash (supra), the present criminal writ petition is disposed of and the matter is remanded back to the Committee for reconsideration of the case of the petitioner in the light of the observations made by this Court in the case of Subhash (supra). "

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 2823/2025 निर्णय के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। बंदी दिनेश पुत्र रामेश्वर लाल को प्रतिबंधित धारा 376(1) आई.पी.सी. में न्यायालय द्वारा 07 वर्ष कठोर कारावास सजा से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 23.07.2026 तक 09 वर्ष 07 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है। इस प्रकार बंदी द्वारा प्रतिबंधित धारा की सजा 07 वर्ष की सजा अवधि पूर्ण कर ली है। और कारागृह में बंदी का आचरण केन्द्रीय कारागृह बीकानेर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनेश बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी दिनेश पुत्र रामेश्वरलाल को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी जावेद खान पुत्र जहीर खान, केन्द्रीय कारागृह उदयपुर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण क्रम संख्या 02, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 61/2020 अंतर्गत धारा 8/18बी, 8/25, 8/29 एन. डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 16.04.2024 को 12 वर्ष कठोर कारावास से

२. ०१/०८/२०२५

दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 में एन.डी.पी.एस एक्ट में दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

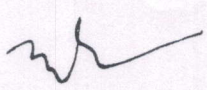
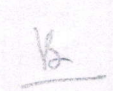
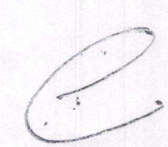
तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1921/2026 जावेद बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 03.07.2026 पारित किया है कि "The respondents are directed to reconsider the petitioner's application for transfer to an Open Air Camp a fresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972 and the judgment passed by the co-ordinate Bench of this Court in the case of Peer Mohd v. State of Rajasthan & Ors. (supra), and to pass a detailed, reasoned and speaking order after due application of mind. The aforesaid exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of a certified copy of this order."

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पीर मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 1316/2026 निर्णय दिनांक 20.04.2026 के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

बंदी पीर मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2026 में उल्लेख किया गया है कि बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु प्रकरण पर विचार करने के लिए कमेटी को कई जरूरी बातों को ध्यान से मूल्यांकन करना होगा जिसमें कारागृह में बंदी का आचरण, अपराध की प्रकृति, नियम के तहत तय योग्यता के मापदण्ड और बंदी खुला शिविर के व्यापक उद्देश्य शामिल हैं। जिसका मूल स्वरूप पुनर्वासात्मक है। अतः निर्णय लेने की प्रक्रिया में संस्थागत अनुशासन और दण्डात्मक प्रणाली के मूल में निहित सुधारवादी दर्शन के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन परिलक्षित होना चाहिए।

उक्त रिट याचिका में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा बैठक दिनांक 24.04.2026 में दण्डित बंदी पीर मोहम्मद को एन.डी.पी.एस एक्ट में दण्डित होने से कारागृह से बंदी खुला शिविर में नहीं निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। बंदी जावेद खान को धारा 8/18बी,8/25,8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2024 को 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

प्रकरण के समग्र अवलोकन से पाया गया कि बंदी को धारा 8/18बी,8/25,8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त अपराध की प्रकृति गंभीर एवं समाज (Society at large) पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। बंदी का आचरण एवं अन्य पात्रता शर्तों का परीक्षण किया गया, तथापि अपराध की गंभीरता प्रमुख कारक के रूप में विचारणीय है।

  जोरिद 01/12/24  

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खुला बंदी शिविर में स्थानान्तरण कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक व्यवस्था है। ऐसे मामलों में अपराध की प्रकृति, समाज पर प्रभाव एवं सुरक्षा पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपराध की प्रकृति, सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत एन.डी.पी.एस.एक्ट में दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में नहीं निकाले जाने हेतु कमेटी द्वारा विगत वर्षों से अनुशंसा नहीं की जा रही है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी जावेद खान पुत्र जहीर खान को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी भीखाराम पुत्र मीसाराम, केन्द्रीय कारागृह अजमेर:-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश, मेड़तासिटी द्वारा प्रकरण संख्या 42/2017 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 02.05.2019 को आजीवन कारावास एवं प्रकरण संख्या 43/2017 अंतर्गत धारा 302, 201, 397/34 आई.पी.सी. में भी दिनांक 31.07.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 26.11.2025 में बंदी के दिनांक 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 964/2026 भीखाराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 06.07.2026 पारित किया है कि "Learned counsel for the petitioner submits that case of the petitioner was considered by the Committee in the meeting held on 26.11.2025 in which it has been noted that the petitioner has suffered a jail punishment on 23.01.2024 and therefore, as per Rule 3(g) of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972 (for short here in after referred to as, 'the Rules of 1972'), he was entitled to the transfer to Open Air Camp. Learned counsel also submits that even the jail conduct of the petitioner has been found to be satisfactory. He therefore, prays that the respondents maybe directed to transfer the petitioner from Central Jail, Ajmer to the Open Air Camp. In view of the submissions made by learned AAG, the writ petition is disposed of with the direction to the respondents to reconsider case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp after considering the entire material facts of his punishments and conduct in accordance with Rules of 1972. It is further directed

जोधपुर 06/07/2026

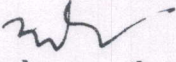
that the respondent shall consider case of the petitioner in the next meeting held for the purpose and case of the petitioner shall be decided by a speaking order. ”

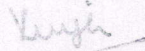
प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी के द्वारा वर्ष 2019 से 26 माह तक से स्वेच्छा से उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को बंदी को 01 माह मुलाकात की सुविधा से वंचित किये जाने, दिनांक 03.11.2020 को बंदी 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने, दिनांक 31.03.2021 को अन्य बंदियों के साथ मिलकर बंदी भोला उर्फ आरिफ के साथ मारपीट करने पर 01 माह की एस.टी.डी की सुविधा से वंचित किये जाने, दिनांक 09.04.2022 को माह जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक उद्योगशाला में अनुपस्थित रहने के कारण 01 माह की एस.टी.डी, केन्टीन व मुलाकात की सुविधा से वंचित किये जाने, दिनांक 05.07.2022 को माह-अप्रैल से माह-जून 2022 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण 07 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने, दिनांक 06.10.2022 को माह-जुलाई 2022 से माह-सितम्बर 2022 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण बंदी पूनः कार्य प्रारम्भ करने तक रेमिशन सिस्टम से पृथक किये जाने, दिनांक 09.01.2023 को माह अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण 01 माह के लिए एस.टी.डी व केन्टीन सुविधा से वंचित किये जाने, दिनांक 11.05.2023 को जनवरी 2023 से माह मार्च 2023 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण बंदी को औपचारिक चेतावनी के दण्ड से दण्डित किये जाने, दिनांक 12.10.2023 को माह सितम्बर 2023 में उद्योगशाला से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने, दिनांक 23.01.2024 को माह अक्टूबर 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किया गया, दिनांक 02.04.2026 को बंदी माह जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक उद्योगशाला में अनुपस्थित रहने के कारण 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने एवं दिनांक 03.07.2026 को बंदी माह अप्रैल 2026 से जून 2026 तक उद्योगशाला में अनुपस्थित रहने के कारण 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(च) के तहत पात्रता अर्जित नहीं रखता है और अपात्र है। जेल अधीक्षक द्वारा भी अपनी टिप्पणी में बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताया है।

बंदी के द्वारा कारागृह में रहते हुए किये गये उक्त कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बंदी को न्यायालय द्वारा 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित किया हुआ है। राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत 02 प्रकरणों तक दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का प्रावधान है।

जो सिद्ध होता है

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी भीखाराम पुत्र मीसाराम को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।


(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर


(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर


(गोविन्द प्रसाद)
सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान, जयपुर


(दिलबाग सिंह)
सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर


(जगमोहन मित्रुका)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान, जयपुर

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
:: दिनांक 29.07.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की
बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अन्तर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 29.07.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री गोविन्द प्रसाद,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री दिलबाग सिंह,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

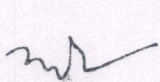
बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 50 एवं पूर्व में अग्रेषित 02 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 52 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्लिद्यत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	सिकन्दर पुत्र लेडाराम	के.का.श्रीगंगानगर	-
2.	कन्नो सिंह पुत्र खुम सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	-
3.	राजेश उर्फ राजू पुत्र रामेश्वर	वि.के.का.श्यालावास	-
4.	सुरेश पुत्र प्रहलाद मीणा	के.का.श्रीगंगानगर	-
5.	नयन पुत्र पन्नानलाल सरगडा	के.का.अजमेर	-



 1





6.	ओमप्रकाश उर्फ ओमसिंह रावत पुत्र वक्ता रावत	के.का.उदयपुर	-
7.	कमल किशोर उर्फ पांचाराम उर्फ पंचीराम पुत्र भंवरलाल जाट	के.का.अजमेर	-
8.	अंकित उर्फ ईकल पुत्र रामा कथौड़ी	के.का.जोधपुर	-
9.	मांगूसिंह पुत्र झूमरसिंह	वि.के.का.श्यालावास	-
10.	विजय पाल पुत्र हंसराज	के.का.श्रीगंगानगर	-
11.	इब्राहीम उर्फ बुन्दु पुत्र अब्दुल गफार	के.का.जोधपुर	-
12.	शंकरलाल पुत्र सोहनलाल	के.का.उदयपुर	-
13.	विजेन्द्र उर्फ बबरू उर्फ बब्बर पुत्र अभयसिंह	के.का.जोधपुर	-
14.	त्रिलोकराम पुत्र मोहनराम	के.का.जोधपुर	-
15.	सतनाम सिंह उर्फ लाडा पुत्र निर्मल सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	-
16.	सत्तार पुत्र बाबू खां	के.का.जोधपुर	-

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होंगे, का प्रावधान है। इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा एस.बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2025 की पालना में इन दण्डित बंदियों/याचिकाकर्ताओं को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्लिदयत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	गुजरा खैर पुत्र कालिया खैर	के.का.श्रीगंगानगर	-
2.	शंकरलाल पुत्र हरिराम धोबी	के.का.उदयपुर	-
3.	निर्मलसिंह उर्फ टिकू पुत्र ननहुईसिंह उर्फ प्रतापसिंह	वि.के.का.श्यालावास	-
4.	नाथू उर्फ नथिया पुत्र भेरा	के.का.अलवर	-

2
जोषि 09/11/24

5.	मोहनराम पुत्र अमराराम	के.का.जोधपुर	परिजनों द्वारा बंदी के भरण- पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
6.	निलेश कुमार पुत्र देवीसिंह	के.का.उदयपुर	-
7.	राजु उर्फ राजकुमार पुत्र मिरखान खैर	के.का.उदयपुर	-
8.	राजेन्द्र गुर्जर उर्फ राजु पुत्र मनोहरलाल गुर्जर	के.का.बीकानेर	परिजनों द्वारा बंदी के भरण- पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-

(अ)प्रतिबंधित धारा 376/377 आई.पी.सी./ पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से:-

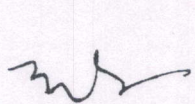
राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र.सं.	बंदी नाम	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	बोद्धानंद पुत्र नारायणलाल	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(एन) में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
2.	प्रेम प्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र अखेचन्द	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376ए,बी एवं धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) से दण्डित।
3.	छोटूदास पुत्र गिरधारीदास वैष्णव	के.का.बीकानेर	धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
4.	भिरगुराम मण्डल उर्फ भीरू पुत्र संतोकी मण्डल	के.का.जयपुर	धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
5.	हरिराम पुत्र डूंगरराम ताबियार	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में आजीवन कठोर कारावास से दण्डित।

6.	राजु बारोलिया उर्फ कालू पुत्र अमरचन्द	केन्द्रीय कारागृह अजमेर	धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल)से दण्डित।
7.	रणवीर पुत्र गणेशाराम	के०का० श्रीगंगानगर	धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	सोनू कुमार पुत्र रामभरोसी	वि.के.का. श्यालावास दौसा	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)से दण्डित होने के कारण
9.	जगदीश पुत्र श्यामलाल	वि.के.का. श्यालावास दौसा	धारा 5(एल)(एन)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण
10.	चोथमल पुत्र कंवरलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2)(एन)आई. पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र दीवानदास	वि.के.का. श्यालावास दौसा	धारा 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित है।
12.	विमल कुमार पुत्र मदनलाल	वि.के.का. श्यालावास दौसा	धारा 7/8, 5/18 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण
13.	पवन कुमार पुत्र गोतम डामोर	के.का.उदयपुर	धारा 9(एम)/10, 11/12 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
14.	लक्ष्मण पुत्र रामेश्वर मीणा	केन्द्रीय कारागृह कोटा	धारा 16/17 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं) एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित होने आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	लखन पुत्र सरवन उर्फ श्रवण	के.का.भरतपुर	बंदी बं.खु.शि. भरतपुर से दिनांक 22.04.2015 से 16.02.2026 तक फरारशुदा। बंदी 10 वर्ष 09 माह 24 दिवस तक फरार रहा है।



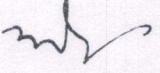
9. जोरदार 4

46/ 

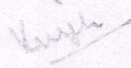
2.	धनराज गुर्जर पुत्र रामचन्द्र गुर्जर	के.का.कोटा	बंदी दिनांक 01.06.2026 से 05.06.2026 तक फरारशुदा। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचारधीन अन्तर्गत धारा 8/15 NDPS एक्ट (फरारी के दौरान)।
3.	प्रदीपसिंह उर्फ दीपू उर्फ लगड़िया पुत्र बहादुर सिंह	के.का.बीकानेर	बंदी 40 दिवस नियमित पैरोल उपभोग कर दिनांक 09.09.2017 से 03.06.2026 तक फरारशुदा एवं बंदी फरारी प्रकरण में वांछित है। इसके अतिरिक्त बंदी प्रतिबंधित धारा 393 भादस में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित है।
4.	दुर्गालाल पुत्र शंकरलाल मघवाल	के.का.कोटा	बंदी दिनांक 16.08.2025 से 01.07.2026 तक फरारशुदा। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचारधीन अन्तर्गत 262 बी.एन.एस (जमानत नही)।
5.	प्रकाश पुत्र शंकर पटेल	के.का.अजमेर	बं.खु.शि.अजमेर में बंदी द्वारा दिनांक 23.06.2026 को परिजनों के साथ झगड़ा करके जान से मारने की धमकियां देने का कृत्य किया है बंदी को दिनांक 30.06.2026 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित कर जेल दाखिल कराया गया।
6.	सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र शर्मा	के.का.अजमेर	बंदी धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास दण्डित।
7.	रोशन लाल पुत्र अमीलाल	के.का. श्रीगंगानगर	बंदी धारा 8/22 NDPS एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	सीताराम पुत्र रामलाल	के.का.जयपुर	बंदी 02 अन्य प्रकरण में वांछित। 01 प्रकरण में (जमानत पर) एवं 01 प्रकरण में जे.सी. वारण्ट
9.	रामकिशन गुर्जर पुत्र रामलाल गुर्जर	के.का.अजमेर	बंदी धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास दण्डित।
10.	राहुल पुत्र राजकुमार	के.का.अलवर	धारा 8/21(सी), 22(सी) एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

30/06/2025

11.	कृष्ण कुमार पुत्र सीताराम	के.का.अलवर	धारा 8/21(सी),22(सी) एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	सीताराम पुत्र पूरणाराम	के.का.अजमेर	बंदी धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास दण्डित एवं बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन अन्तर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट (जमानत नहीं)
13.	किशन उर्फ गुंगा उर्फ सूखा पुत्र जगदीश कुमार	के.का.जोधपुर	बंदी 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं) एवं दिनांक 24.03.2026 को 03 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।
14.	कृष्णपाल सिंह पुत्र रामजीलाल	वि.के.का. श्यालावास दौसा	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन धारा 302 आई.पी.सी (जमानत नहीं)।



(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर



(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर



(गोविन्द प्रसाद)
सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान, जयपुर



(दिलबाग सिंह)
सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर



(जगमोहन मिश्रा)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान, जयपुर